तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/11/24	प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रकट किया कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा मूल अपील सं. 26/2011 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, उसके बाद में प्रार्थीगण के पिता भागचंद बीमार पड़ गये तथा लम्बी बीमारी के बाद देहान्त हो गया। प्रार्थीगण अपने पिता की लम्बी बीमारी के बाद मृत्यु होने से भारी सदमे में थे तथा उसके बाद वर्ष 2020 व 2021 में कोरोना महामारी के कारण घर से बाहर नहीं निकल सके। इस कारण प्रार्थीगण न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके। श्रीमान न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 05.11.2014 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दी गई, जिसकी जानकारी अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को नही दी, जिससे प्रार्थीगण को अपील के बारे में जानकारी नहीं हो सकी। वर्तमान में बरसात का मौसम होने से विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे में हस्तक्षेप किया जाने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने पता किया तो मालूम हुआ कि प्रार्थीगण के पिता ने अपील पेश की थी जो अपील खारिज की जा चुकी हैं। जिस पर प्रार्थीगण ने दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर हस्तगत अपील व आदेश की नकलें दिनांक 08.06.2023 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 26.06.2023 को प्राप्त हुई, जिससे यहज प्रार्थना–पत्र अन्दर मयाद पेश हैं। अपीलांट की अपील पर गुणावगुण निस्तारित नहीं होती हैं तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात होगा तथा अपीलांट न्याय से वंचित रह जायेंगे। इस कारण उक्त अपील को पुनः बरामद किया जाकर उसे गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थीगण के पिता भागचंद द्वारा भी अपील की चाराजोही में रूचि नहीं ली तथा अपने अधिवक्ता को ठोस पैरवी हेतु हिदायत नहीं होने पर न्यायालय द्वारा अपील अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज की गई हैं। इस आदेश के विरूद्ध करीब 10 वर्ष के लम्बे एवं असाधारण विलम्ब के बाद यह प्रार्थना–पत्र पुनः बरामद हेतु प्रस्तुत किया हैं तो मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

हमने दोनो पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध मे सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अवलोकन किया। व्यतिक्रम के लिये खारिज की गई अपील को पुनःग्रहण करने के लिये आवेदन में जहां यह साबित कर दिया जाता हैं कि वह अपील की सुनवाई के लिये पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था वहां न्यायालय खर्चे संबंधी या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर हो वह ठीक समझे, अपील को पुनः ग्रहण करेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.06.28 10:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत अपील दिनांक 05.11.2014 को अदम पैरवी में खारिज की गई हैं। प्रार्थीगण का कथन हैं कि प्रार्थीगण के पिता अपील पेश करने के बाद बीमार पड़ गये थे तथा लम्बी बीमारी के बाद देहान्त हो गया। उसके बाद प्रार्थीगण सदमें में रहे व वर्ष 2020 व 2021 में कोरोना महामारी के कारण घर से बाहर नहीं निकल सके। इसके पश्चात वर्तमान में बरसात के मौसम में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने पर अपील का पता किया तथा दिनांक 08.06.2023 को नकलें मांगी गई। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों में 10 वर्ष की लम्बी समयावधि के बारे में कोई तथ्यात्मक हेतुक प्रकट नहीं किया हैं। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु की दिनांक 03.01.2014 को हुई एवं अलौच्य आदेश दिनांक 05.11.2014 अर्थात करीब 10 माह बाद हुआ हैं, प्रार्थीगण का कथन हैं कि इसके पश्चात वे पिता की मृत्यु के सदमे में रहे। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह हेतुक 10 वर्ष की लम्बी समयावधि के विलम्ब का शमन किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा न्यायिक निर्णय 2016–17(Supp.) आरआरटी 727 प्रस्तुत की जिसमें पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर विलम्ब को स्पष्ट किये जाने की दशा में अपील रेस्टोर की गई हैं, इस प्रकार उक्त निर्णय नजीर इस प्रकरण में प्रार्थीगण को अनुतोष प्रदान करने में लागू नहीं होती हैं। इसके अलावा अन्य न्यायिक निर्णय नजीर 2011 (2) आरआरटी 1350 में आसामान्य विलम्ब का मामला नहीं होने पर तकनीकी आधारों के बजाय गुणावगुण पर निर्णय किये जाने को युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत माना हैं किन्तु हस्तगत प्रकरण में 10 वर्ष का असाधारण विलम्ब हैं, जिसका पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण प्रकट नहीं किया गया हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र पर्याप्त हेतुक के अभाव में सारहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो व मूल प्रकरण के हमफीता हों।

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:56:07 IST
Reason: SelfAttested